the Central Government to streamline and restructure PDS with its focus on the poor (the Targeted PDS), the CIP (Ex-FCI godown) of wheat and rice issued from the Central Pool will stand revised from 1st June, 1997, as under:—

(Rs. per qtl.)

		Under Targeted PDS (effective from 1.6.97)	
	CIP for PDS (effective from 1.2.94)	CIP for families Below Poverty Line (BPL)	CIP for families Above Poverty Line (APL)
Wheat	402	250	450
Rice - Common	537	350	—
- Fine	617	350	650
- Superfine	648	—	750

In case, however, a State/UT is ready to implement the Targeted PDS from a date earlier than 1.6.1997, the revised prices for both BPL and APL population will apply from such a date. The aforesaid prices show a decrease in the prices for BPL population and increase in the prices for APL population.

The subsidy borne by the Government on supply of foodgrains under PDS/ RPDS, etc. is as under:—

(Rs. in crores)

Financial year	Subsidy on *Foodgrains*	Subsidy on *Sugar*
1994-95	4509	591
1995-96 (RE)	4960	415
1996-97 (RE)	5166	900
1997-98 (RE)	7000	500

As regards sugar, the retail issue price has been raised from Rs. 9.05 fixed w.e.f. 1.2.94 to Rs. 10.50 per kg. w.e.f. 10.2.97.

The Government have taken a number of steps to check rise in open Market Prices of foodgrains, like, import of wheat upto 2 million tonnes, increased allocation for PDS and Open Market Sales Scheme, imposition of licensing and stock holding limits and action against hoarders and black marketeers under the provisions of Essential Commodities Act and Prevention of Black Marketing and Maintenance of Supplies of Essential Commodities Act.

मध्य प्रदेश में निर्मित गोदाम तथा उनकी भण्डारण क्षमता

3710. **श्री अजीत जोगी:**
डा० जगन्नाथ मिश्र:

क्या खाद्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) मध्य प्रदेश में निर्मित और निर्माणाधीन गोदामों की संख्या कितनी है और उनकी भण्डारण क्षमता कितनी-कितनी है;

(ख) क्या सरकार राज्य में कुछ और गोदामों का निर्माण करने का विचार रखती है;

(ग) यदि हां, तो उनका ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं?

कृषि मंत्री और खाद्य मंत्री तथा नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री चतुरानन मिश्र): (क) भारतीय खाद्य निगम, केन्द्रीय भंडारण निगम और मध्य प्रदेश राज्य भंडारण निगम के संबंध में सूचना निम्नानुसार है:—

भारतीय खाद्य निगम:

1.4.1997 को स्थिति के अनुसार मध्य प्रदेश में भारतीय खाद्य निगम के पास 12.46 लाख टन की क्षमता वाले कुल 144 गोदाम थे जिनमें से 8.21 लाख टन क्षमता वाले 41 गोदाम अपने निर्मित हैं जिनका समूचा उपयोग 55 प्रतिशत है। छत्तीसगढ़ क्षेत्र में धमत्री में 10,000 टन की क्षमता का एक गोदाम निर्माणाधीन है।

केन्द्रीय भण्डारण निगम:

1.2.1997 की स्थिति के अनुसार मध्य प्रदेश में केन्द्रीय भंडारण निगम के पास 6.79 लाख टन की क्षमता वाले 40 भांडागार हैं जिनमें से 5.39 लाख टन क्षमता के गोदाम अपने/निर्मित हैं और शेष 1.40 लाख टन क्षमता के गोदाम किराए के हैं।

मध्य प्रदेश राज्य भंडारण निगम:

1.2.1997 की स्थिति के अनुसार मध्य प्रदेश राज्य भंडार निगम राज्य में 14.44 लाख टन की क्षमता वाले 309 भांडागार चला रहा है जिनमें से 10.04 लाख टन अपने और शेष 4.40 लाख टन क्षमता किराए पर लिए गए गोदामों में है।

(ख) से (घ) राज्य में उपलब्ध क्षमता और निधि की उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए भारतीय खाद्य निगम का निकट भविष्य में राज्य में किसी गोदाम के निर्माण करने का प्रस्ताव नहीं है।

केन्द्रीय भंडारण निगम का मध्य प्रदेश में निम्नलिखित स्थानों पर अतिरिक्त क्षमता का निर्माण करने का प्रस्ताव है:—

1. ग्वालियर (मलनपुर)	5000 टन
2. नरसिंगपुर	5000 टन
3. सनवेर	2000 टन
4. बिलासपुर	4800 टन
5. रायपुर	5000 टन

उपरोक्त के अलावा केन्द्रीय भंडारण निगम, मुरैना, भाटापारा, कटनी और शिवपुरकलां में भांडागार स्थापित करने के बारे में विचार कर रहा है।

चालू वित्तीय वर्ष के दौरान, मध्य प्रदेश राज्य भंडारण निगम का राज्य में 0.88 लाख टन की क्षमता का निर्माण करने का भी प्रस्ताव है।

भारतीय खाद्य निगम के बहुत सारे श्रमिकों की छटनी किया जाना

3711. **डा० जगन्नाथ मिश्र:**
श्री अजीत जोगी:

क्या **खाद्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय खाद्य निगम बड़ी संख्या में पुराने मजदूरों की छंटनी करके नए मजदूरों की भर्ती कर रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके कारण हैं?

कृषि मंत्री और खाद्य मंत्री तथा नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री चतुरानन मिश्र): (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

भारतीय खाद्य निगम द्वारा उचित दर की दुकानों को कम तोल के खाद्यान्नों की आपूर्ति किया जाना

3712. **श्री अजीत जोगी:**
डा० जगन्नाथ मिश्र:

क्या **खाद्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सरकार को चालू वर्ष के दौरान अब तक भारतीय खाद्य निगम द्वारा उचित दर की दुकानों को कम तोल के खाद्यान्नों की आपूर्ति किए जाने के संबंध में कितनी शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(ख) इन शिकायतों पर क्या कार्यवाही की गई है; और

(ग) भारतीय खाद्य निगम द्वारा सही तोल के खाद्यान्नों की आपूर्ति किए जाने को सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

कृषि मंत्री और खाद्य मंत्री तथा नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री चतुरानन मिश्र): (क) से (ग) वर्तमान वर्ष के दौरान भारतीय खाद्य निगम द्वारा उचित दर दुकानों को कम मात्रा में खाद्यान्नों की आपूर्ति करने के बारे में केन्द्रीय सरकार को कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है। भारतीय खाद्य निगम राज्य सरकार अथवा उनके नामितियों को स्टाक की आपूर्ति करता है और उठान के समय उन्हें भारतीय खाद्य निगम के गोदामों से उठाए गए स्टाक की मात्रा सुनिश्चित करनी होती है। अतः उचित दर दुकानों को खाद्यान्न आपूर्ति करने का दायित्व राज्य सरकारों का है और किसी प्रकार की कमी आदि के लिए भारतीय खाद्य निगम जिम्मेदार नहीं है।